ईएफ पॉलिमर विजेता घोषित

कोटा, (निसं)। डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन और द नज इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ साझेदारी में ईएफ पॉलिमर को डीसीएम श्रीराम एगवाटर चैलेंज का विजेता घोषित किया। ईएफ पॉलिमर को भारत के छोटे किसानों के लिए जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के इसके अग्रणी समाधानों के लिए 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत मौजूद थे। फार्म2फोर्क टेक्नोलॉजीज द्वारा कृषि-प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कल्टीवेट को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया और सिंचाई को सरल बनाने तथा किसानों को प्रभावी तरीके से फैसला करने में मदद करने वाली स्मार्ट सिंचाई प्रणाली विकसित करने में इसके योगदान के लिए 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। डीसीएम श्रीराम एगवाटर चौलेंज को भारत में 10 लाख छोटे किसानों के लिए जल दक्षता, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया था, जिसमें पानी का सबसे अधिक उपयोग करने वाली चार प्रमुख फसलों-गन्ना, गेहूं, धान और कपास को केंद्र में रखा गया था। इसके लिए 134 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16 एगटेक संगठनों को इस चैलेंज के लिए चुना गया, जो सिंचाई, बायोएग इनपुट, परामर्श सेवा आदि में नवोन्मेष को आगे बढ़ा रहे हैं। मूल्यांकन के बाद, चार फाईनलिस्ट के तौर पर ईएफ पॉलिमर, कल्टीवेट, इंडसटिल और फाइफार्म को उनकी सफल उपयोग के आधार चुना गया।

केईडीएल में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड केईडीएल की ओर से मंगलवार को 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। विद्युत सुरक्षा के सभी मानदंडों को अपनाते हुए सभी को अपने कार्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सतर्क रहने की शपथ दिलाई गई।

केईडीएल के सभी उपखण्ड कार्यालयों व जीएसएसों में संबंधित क्षेत्र के उपखंड कार्यालयों के इंचार्ज ने कर्मचारियों को सुरक्षा की शपथ दिलाई। वहीं केईडीएल के कॉर्पोरेट ऑफिस में

- **केईडीएल में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुरु, 10 मार्च तक होगा गतिविधियों का आयोजन**

केईडीएल के सीओओ शांतनु भट्टाचार्य ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा की शपथ दिलाई। केईडीएल के सुरक्षा अधिकारी अंशुल चौरसिया ने बताया कि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

कोटा में केईडीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षा की शपथ ली।

इसमें सुरक्षा जागरूकता के लिए पूरे संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया है। सप्ताह की शुरुआत 4 मार्च को सुरक्षा शपथ और वरिष्ठ प्रबंधन के उद्घाटन भाषण के साथ की गई। अब यह गतिविधियां होंगी आयोजित-सुरक्षा अधिकारी चौरसिया ने बताया कि सभी कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा (इलेक्ट्रिकल, सड़क व सामान्य जागरूकता) के संबंध में हर दिन एसएमएस भेजा जाएगा। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता सप्ताह में दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी। क्विज हर दिन शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच मेल के माध्यम से साझा की जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा नारा एवं सुरक्षा पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विद्युत सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा से संबंधित वीडियो विभिन्न कार्यालयों में चलाए जाएें सुरक्षा सप्ताह के दौरान असुरक्षित मानक दूरी का पता लगाने के लिए मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा।

सुरक्षा की शपथ ली

रामगंजमण्डी,(निसं)। मंगलम सीमेंट लिमिटेड मोड़क द्वारा मंगलवार को 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अध्यक्षता कर रहे कम्पनी प्रेसिडेंट आपरेशन्स सुनील सचान ने सेफ्टी ध्वज फहराकर करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबधता और सुरक्षित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभी ने सुरक्षा की शपथ ली। सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने और सभी को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए संस्थान में सुरक्षा पद यात्रा का भी आयोजन किया गया। कम्पनी प्रेसिडेंट आपरेशन्स सुनील सचान ने सुरक्षा पद यात्रा को हरी झंडी दिखा कर पद यात्रा कि शुरुआत करवाई।

इस अवसर पर कम्पनी प्रेसिडेंट आपरेशन्स सुनील सचान ने बताया कि जीवन के सभी पहलुओं में सुरक्षा को प्राथमिकता दें और कार्य स्थल पर सुरक्षा के सभी नियमों को अपनाकर ही कार्य करें और एक स्वस्थ और सुरक्षित संस्कृति का निर्माण करके विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें। सुरक्षा सप्ताह में सुरक्षा की जागरूकता और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में विभिन्न प्रतियोगिताएं सुरक्षा प्रश्नोत्तरी पोस्टर प्रतियोगीता व निबंध प्रतियोगिता सहित इत्यादि का आयोजन किया जायेगा।

विदाई समारोह कार्यक्रम संपन्न

कोटा, (निसं)। एलबीएस स्कूल महावीर नगर में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित हुआ कार्यक्रम के दौरान एलबीएस ग्रुप के चेयरमेन कुलदीप माथुर, सीईओ ओपी माथुर एवं डायरेक्टर सुदर्शन माथुर द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

कोटा एलबीएस स्कूल में विदाई समारोह आयोजित किया।

विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों व विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन तिलक निकाल करके किया। चेयरमेन कुलदीप माथुर द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर जानकारी दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ उन्हें सदैव जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ व बधाई पत्र भेंट कर उन्हें विदाई दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जिसमें साफा बांधो, साड़ी पहनो, रेप वोक, प्रतियोगिता आयोजित हुई, बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए, सभी विद्यार्थियों का संस्था की ओर से दुपट्टा बनाकर के अभिवादन किया।

मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 200 ग्राम गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। नान्ता थाने के उपनिरिक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान नान्ता फार्म रोड के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग की गई। थानाधिकारी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान नान्ता की तरफ वाली रोड से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ नजर आया जो पुलिस टीम की नाकाबंदी को देखकर वापस मुड कर जाने लगा, जिसे जाप्ता की मदद से मौके पर ही डिटेन कर उसकी तलाशी ली गई। थानाधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान व्यक्ति की जेब से काले रंग की थैली मिली जिसमे अवैध मादक पदार्थ 200 ग्राम गांजा मिला।

चम्बल फर्टिलाइजर सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का शुभारंभ गढ़ेपान स्थित चम्बल फर्टिलाईजर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मचारियों और श्रमिकों ने सुरक्षा शपथ ली और उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस विशेष आयोजन में कंपनी के अधिकारियों द्वारा निवारक सुरक्षा के महत्व तथा सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में नवीनतम तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के हेड मैन्युफैक्चरिंग अजय तायल द्वारा झंडारोहण के माध्यम से किया गया। कंपनी के लिए एक और गर्व का क्षण तब आया जब राजधानी जयपुर में कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा आयोजित 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह में चम्बल फर्टिलाईजर को सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कंपनी को यह पुरस्कार मुख्य अतिथि, राजस्थान सरकार के राज्यमंत्री कौशल, रोजगार और उद्यमिता मंत्रालय के के.के. विश्नोई की उपस्थिति में, श्रम एवं ईसीआईएस सचिव पी रमेश कुमार द्वारा प्रदान किया गया। कंपनी द्वारा प्लांट में किए जा रहे सतत उत्पादन के प्रयासों के लिए यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थापना के प्रारंभ से ही चम्बल फर्टिलाईजर उच्च सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण एवं उत्कृष्ट तकनीक के प्रति प्रतिबद्ध रहा है।

चम्बल फर्टिलाइजर को सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

टारगेट बॉल टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में पहुंची एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी

कोटा, (निसं)। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टारगेट बॉल टूर्नामेंट के महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाईनल मैच जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के ओलंपियन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खेले गए, जहां

- **भगवंत, श्रीधर और संदीप यूनिवर्सिटी जय मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी के ओलंपियन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में होगी क्लोजिंग सेरेमनी**

पर यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन आरडी मीना, पूर्व आईपीएस बालमुकुंद वर्मा, डिफेंस के फॉर्मर डायरेक्टर हेमराज मीणा और टारगेट बाल संगठन के अध्यक्ष सोनू शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीपी तिवारी और रजिस्ट्रार एनके शर्मा ने बताया कि महिला वर्ग के प्रथम सेमीफाइनल में एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु फिजिकल यूनिवर्सिटी के बीच हुआ और एशियन ने पांच-चार से जीत दर्ज की।

महिला वर्ग का दूसरा सेमीफाईनल भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर और डॉ.प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी मध्यप्रदेश के बीच खेला गया जिसमें भगवंत यूनिवर्सिटी ने 14-2 से जीत दर्ज की। इसी तरह पुरुष वर्ग के मुकाबले में पहला सेमीफाईनल मैच श्रीधर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बीच खेला गया जिसमें श्रीधर यूनिवर्सिटी 15-3 से विजय रही। सेमीफाईनल का पुरुष वर्ग का दूसरा मुकाबला संदीप यूनिवर्सिटी और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के बीच खेला गया जिसमें संदीप यूनिवर्सिटी ने 22-21 से जीत दर्ज की। अब फाईनल मैच महिला वर्ग के एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और भगवंत यूनिवर्सिटी के बीच होगा तथा पुरुष वर्ग में फाइनल मुकाबला संदीप यूनिवर्सिटी और श्रीधर यूनिवर्सिटी के बीच खेला जाएगा। सुबह 8.00 बजे जय मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर फाईनल मैच खेले जाएंगे और उसके बाद 9.15 बजे क्लोजिंग सेरेमनी होगा जिसमें चैंपियंस को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

कोटा में टारगेट बॉल प्रतियोगिता के सेमीफाईनल मुकाबले हुए।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" बारां (राज.)

क्रमांक:-2168-76 दिनांक:-04.03.25

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, बारां द्वारा सप्लाई एण्ड इन्सटालेशन ऑफ टेस्टिंग मशीन विद एसेसरीज (NIR whole grain oil testing analyser) हेतु रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित फर्मों/अधिकृत डीलरों/विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन ई-निविदाएं दिनांक 19.03.2025 को सायं 6:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in/ www.eproc.rajasthan.gov. in व विभागीय पोर्टल agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर भी देखा जा सकता है। निविदा की अनुमानित कुल लागत 30.00 लाख रु. है।

NIB CODE-DAM2425A0636
UBN No.-DAM2425WSOB01310

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति बारां

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-11/विक्रय/2025/1093 दिनांक:-3.3.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 664 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 306 दिनांक 19.10.2015 को श्रीमती विमला बघेरवाल पत्नी श्री नन्द किशोर बघेरवाल के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती विमला बघेरवाल पत्नी श्री नन्द किशोर बघेरवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री पवन शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा एवं श्री नितिन जैन पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जैन द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.05.2024 को श्री रवि सुमन पुत्र श्री मांगी लाल सुमन को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री रवि सुमन पुत्र श्री मांगी लाल सुमन द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 664 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री रवि सुमन पुत्र श्री मांगी लाल सुमन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4682 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 4.3.25

आवास संख्या 2/177 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री सुरेश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री सुरेश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता द्वारा दिनांक 28.02.2018 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सुरेश चंद गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता की मृत्यु दिनांक 06.05.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री पियूष अग्रवाल एवं श्री मयंक अग्रवाल पिसरान स्व.श्री सुरेश गुप्ता द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 03.09.2024 को श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व.श्री सुरेश गुप्ता के पक्ष में किया गया। श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व.श्री सुरेश गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2/177 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बधंक पत्र, शपथ पत्र घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व.श्री सुरेश गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व.श्री सुरेश गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी स्व.श्री सुरेश गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4692 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.3.25

आवास संख्या 2-द-13 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री दिनेश चन्द्र एम. साह पुत्र श्री मन्नु भाई साह को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री दिनेश चन्द्र एम. साह पुत्र श्री मन्नु भाई साह द्वारा दिनांक 17.12.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री दिनेश चन्द्र एम. साह पुत्र श्री मन्नु भाई साह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 10.06.2004 को श्री कलाधारी गुप्ता पुत्र स्व. श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कलाधारी गुप्ता पुत्र स्व. श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 25.11.2009 को हो चुकी है। श्री कलाधारी गुप्ता पुत्र स्व. श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 19.03.2009 को श्री भुवनेश के पक्ष में आलेखित की गई। श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-द-13 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/18389 दिनांक: 4.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मितेश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल निवासी भूखंड संख्या 342 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 342 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा क्षेत्रफल 2625 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 342 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा क्षेत्रफल 2625 वर्गफुट का स्वामित्व कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 11/विक्रय/95/697-98 दिनांक 25.01.1995 से श्रीमती पम्मी देवी पत्नी स्व. श्री टेक चन्द के नाम हस्तांतरित किया गया। श्रीमती पम्मी देवी ने उक्त भूखंड का 1500 वर्गफुट भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1997 से तथा शेष भाग क्षेत्रफल 1125 वर्गफुट भाग जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.08.1997 से श्री सूरज मल गुप्ता पुत्र श्री भंवर लाल को विक्रय कर दिया। श्री सूरज मल ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 03.12.2001 से उक्त भूखंड की वसीयत श्री मितेश खण्डेलवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार के नाम कर दी। श्री सूरजमल गुप्ता का देहावसान दिनांक 25.01.2005 को हो जाने के उपरांत आवेदक श्री मितेश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4667 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.3.25

आवास संख्या 3-बी-21 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री जगदीश चन्द्र जैन पुत्र स्व. श्री नैमीचन्द जैन को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती उषा सोलंकी पत्नी श्री रघुराज सिंह सोलंकी के नाम दिनांक 24.03.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती उषा सोलंकी पत्नी श्री रघुराज सिंह सोलंकी द्वारा दिनांक 26.04.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती उषा सोलंकी पत्नी श्री रघुराज सिंह सोलंकी की मृत्यु दिनांक 24.01.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती रविना सोलंकी पुत्री रघुराज सिंह सोलंकी पत्नी श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित सम्मिलित हक का हक त्याग पत्र अपने पिता श्री रघुराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री उदय सिंह सोलंकी के पक्ष में किए जाने हेतु दिनांक 18.04.2021 को मुख्तार नामा खास आलेखित किया गया। मृतक के वारिसानों में श्री रघुराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री उदय सिंह सोलंकी बहैसियत स्वयं व बहैसियत मुख्तार खास श्रीमती रविना सोलंकी पुत्री श्री रघुराज सिंह पत्नी श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह एवं श्रीमती स्वाती सोलंकी पुत्री श्री रघुराज सिंह सोलंकी पत्नी श्री विक्रांत सिंह हाडा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 15.05.2024 को श्री जयन्त सोलंकी पुत्र श्री रघुराज सिंह सोलंकी के पक्ष में किया गया। श्री जयन्त सोलंकी पुत्र श्री रघुराज सिंह सोलंकी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-बी-21 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मुख्तार नामा खास एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर स्वयं के नाम करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मुख्तार नामा खास एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री जयन्त सोलंकी पुत्र श्री रघुराज सिंह सोलंकी के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री जयन्त सोलंकी पुत्र श्री रघुराज सिंह सोलंकी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री जयन्त सोलंकी पुत्र श्री रघुराज सिंह सोलंकी के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

न्यायालय जिला न्यायाधीश, कोटा (राज.)

प्रकरण संख्या : 109/2024

अर्पिता गुप्ता पुत्री स्व. सुरेन्द्र मोहन गुप्ता, आयु 39 वर्ष, निवासनी 609, ए-विंग, जैस्मिन को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि., सिद्धेश्वर गार्डन धोकाली, ठाणे (वेस्ट) मुम्बई-400607 ...... प्रार्थिया

- बनाम -

(1) अभिषेक गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र मोहन गुप्ता, आयु 40 वर्ष, निवासी 1802, विम्सटन रेजेन्सी हाईट ब्रम्हान्ड ठाणे (वेस्ट) मुम्बई-400607 (2) अंजली कानूनगो पत्नि नीलेश कानूनगो, पुत्री स्व. सुरेन्द्र मोहन गुप्ता आयु 42 वर्ष, निवासनी 1201 सी-विंग, ओम वक्रतुण्ड को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, धोकाली रोड़, ठाणे (वेस्ट) मुम्बई 400607 (3) भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा गुमानपुरा, कोटा (राज.) (4) जन साधारण

आवेदन पत्र धारा 372
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया अर्पिता गुप्ता ने इस न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पेश किया है, जिसमें बताया है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम- 1 व 2 के पिता स्व. सुरेन्द्र मोहन गुप्ता का बैंक लाकर नम्बर 180(ए) अप्रार्थी क्रम 3 बैंक शाखा में है, जिसमें सामान रखे हुए हैं तथा प्रार्थिया के पिता सुरेन्द्र मोहन गुप्ता का दिनांक 16.03.2021 को तथा माता श्रीमती मीना गुप्ता का दिनांक 08.05.2013 को तथा प्रार्थिया की दादी कस्तूरी बाई का 31.12.2003 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थिया व अप्रार्थी नं. 1 व 2 ही मृतक सुरेन्द्र मोहन गुप्ता के जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी हैं तथा इनके अलावा मृतक का अन्य कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है। प्रार्थिया मृतक की पुत्री व विधिक वारिस होने से उक्त लाकर में रखे सामान के सम्बन्ध में उनका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपने पक्ष में जारी कराने की अधिकारी है और जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को भी कोई आपत्ति नहीं है।

अत: सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मृतक सुरेन्द्र मोहन गुप्ता के अप्रार्थी क्रम 3 स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा गुमानपुरा, कोटा के लॉकर नम्बर 180(ए) में रखे सामानों के सम्बन्ध में मृतक सुरेन्द्र मोहन गुप्ता का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थिया के पक्ष में जारी करने में कोई आपत्ति हो, तो वह **दिनांक 29.03.2025 को 10.30 AM बजे** इस न्यायालय में अपनी आपत्ति असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, अन्यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थिया के पक्ष में जारी कर दिया जावेगा एवं बाद में कोई आपत्ति नहीं सुनी जावेगी।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक **04.02.2025** को जारी किया गया।

मुद्रा

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

वादपदों के स्थिरीकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट 'ख' का फार्म सं.1)
न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश सं. 5 अजमेर

श्रीमती गीता वादी
बनाम
श्री खेम सिंह व अन्य प्रतिवादी

व्यवहार वाद संख्यांक 19/2024

विरुद्ध : श्री रंगलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति गुर्जर उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी हरिओम रंगबाड़ी स, महावीर नगर कोटा (राजस्थान)

चूंकि वादीनी ने आपके विरुद्ध......
के लिये एक वाद संस्थित किया है। अत: आपको एतद् द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयं या ऐसे अधिवक्ता जो कि सम्यकरुपेश अनुदिष्ट हो व वाद संबंधी सब सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिनके सात ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो, के द्वारा दिनांक 05.04.25 के दिवस को 10.00 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो और आगे आपको एतद द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आप अपने प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करें और उसी दिन वे सब प्रलेख जो आपके अधिपत्य या अधिकार में हो व जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा व प्रतिपादन या प्रतिदावा आधारित करते हो भी प्रस्तुत करें तथा जहां आदेश किसी अन्य प्रलेख की आपके आधिपत्य या अधिकार में हो या न हो, गर अभी प्रतिरक्षा या प्रतिवादन या प्रतिदावा के समर्थन में साक्ष्य के रुप में भरोसा रखते हो, उन प्रलेखों की अपने लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

सूचित रहे कि पूर्णवर्णित दिवस को आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यक्तिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

मोहर अदालत

रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
सं.-5 अजमेर

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3444 **विज्ञप्ति** दिनांक:-4.3.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना शगुन प्राईम भूखंड संख्या 39 खसरा नं. 19 का भाग आवेदक/आवेदिका श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री हीरा लाल मीणा निवासी वार्ड नं. 2 राम नगर कालोनी नई टंकी के पास अकलेरा जिला झालावाड़ राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 4507 दिनांक 17.01.2023 को श्री हारुन मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधआरी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2025 को जर्ये मुख्तारआम मैसर्स ओवेस कंस्टक्शन प्राईवेट लिमिटेड कोटा राज. जरिये निदेशक मोहम्मद रियाज शेख पुत्र श्री मोहम्मद रमजान शेख प्रणति बिल्डकॉन द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया।

अत: श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री हीरा लाल मीणा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/2118 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 4.3.25

नगर विकास न्यास कोटा की योजना कोटा टायर रिपेयर एसोसियेशन विश्वकर्मा नगर का भूखंड संख्या 71-बी को हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 18.04.2023 को श्री अब्दुल रहमान पुत्र स्व. श्री अब्दुल कादर को हस्तान्तरण किया गया था। उक्त भूखंड की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्री भूपेन्द्र सिंह धाकड पुत्र श्री हरदयाल सिंह धाकड द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 71-बी योजना कोटा टायर रिपेयर एसोसियेशन विश्वकर्मा नगर की रजिस्ट्री स्वीकृति श्री अब्दुल रहमान पुत्र स्व. श्री अब्दुल कादर जर्ये मुख्तारआम श्री भूपेन्द्र सिंह धाकड पुत्र श्री हरदयाल सिंह धाकड के नाम जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको/जोन-द्वितीय/भ.नि.अनु./2025/18385 दिनांक: 4.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनिशा ऐरन पत्नी श्री राज कमल ऐरन निवासी आवास संख्या 4-डी-24 हनुमान मंदिर के सामने महावीर नगर तृतीय कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 700 महावीर नगर द्वितीय कोटा क्षेत्रफल 181.72 वर्गगज का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 700 महावीर नगर द्वितीय कोटा क्षेत्रफल 181.72 वर्गगज का स्वामित्व नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक LSG/KOTA SOUTH/MUT/2023-24/73812 दिनांक 12.03.2024 से श्रीमती अनिशा ऐरन पत्नी श्री राज कमल ऐरन के नाम हस्तांतरित किया गया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/18390 दिनांक: 4.3.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार सक्सेना पुत्र स्व. श्री राम सहाय एवं श्री पंकज सक्सेना पुत्र स्व. श्री राम सहाय निवासी भूखंड संख्या 814/2 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 814/2 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1440 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 814/2 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल 1440 वर्गफुट का स्वामित्व कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा पत्र क्रमांक ननिको/98/3870 दिनांक 21.03.1998 से श्रीमती कमलेश सक्सेना पत्नी श्री राम सहाय सक्सेना के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। श्रीमती कमलेश सक्सेना ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 27.05.2020 से उक्त भूखंड पर निर्मित प्रथम तल मय छत की वसीयत श्री सुनील कुमार सक्सेना पुत्र स्व. श्री राम सहाय के नाम तथा भूतल तल की वसीयत श्री पंकज सक्सेना पुत्र स्व. श्री राम सहायक के नाम कर दी। श्रीमती कमलेश सक्सेना का देहावसान दिनांक 27.02.2022 को हो जाने के उपरांत आवेदक श्री सुनील कुमार सक्सेना पुत्र स्व. श्री राम सहाय एवं श्री पंकज सक्सेना पुत्र स्व. श्री राम सहाय द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4658 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.3.25

आवास संख्या 2-ध-5 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री पुखराज मल पुत्र श्री हुकम चन्द को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री पुखराज मल पुत्र श्री हुकम चन्द द्वारा दिनांक 23.03.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री पुखराज मल पुत्र श्री हुकम चन्द की मृत्यु दिनांक 09.11.2024 को हो चुकी है। श्री पुखराज मल पुत्र श्री हुकम चन्द द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 26.04.2015 को श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराज मल बाफना के पक्ष में आलेखित की गई। श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराज मल बाफना द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ध-5 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराज मल बाफना के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराज मल बाफना के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सुनील बाफना पुत्र स्व. श्री पुखराज मल बाफना के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4692 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.3.25

आवास संख्या 2-द-13 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री दिनेश चन्द्र एम. साह पुत्र श्री मन्नु भाई साह को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री दिनेश चन्द्र एम. साह पुत्र श्री मन्नु भाई साह द्वारा दिनांक 17.12.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री दिनेश चन्द्र एम. साह पुत्र श्री मन्नु भाई साह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 10.06.2004 को श्री कलाधारी गुप्ता पुत्र स्व. श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कलाधारी गुप्ता पुत्र स्व. श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता की मृत्यु दिनांक 25.11.2009 को हो चुकी है। श्री कलाधारी गुप्ता पुत्र स्व. श्री ईश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 19.03.2009 को श्री भुवनेश के पक्ष में आलेखित की गई। श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-द-13 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री भुवनेश पुत्र श्री नरेश गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4664 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 4.3.25

आवास संख्या 4-सी-8 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रतनलाल शर्मा पुत्र श्री रामनारायण तिवारी को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती ललीता जैन पत्नी श्री धनकुमार जैन के नाम दिनांक 03.05.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती ललीता जैन पत्नी श्री धनकुमार जैन द्वारा दिनांक 12.06.2002 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्रीमती ललीता जैन पत्नी श्री धनकुमार जैन की मृत्यु दिनांक 20.02.2013 को हो जाने के उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर दिनांक 27.03.2017 को श्री गौरव जैन पुत्र स्व. श्री धनकुमार जैन के पक्ष में किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र श्री गौरव जैन पुत्र स्व. श्री धनकुमार जैन की मृत्यु दिनांक 10.09.2023 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती अंकिता जैन पत्नी स्व. श्री गौरव जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-सी-8 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती अंकिता जैन पत्नी स्व. श्री गौरव जैन के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती अंकिता जैन पत्नी स्व. श्री गौरव जैन के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती अंकिता जैन पत्नी स्व. श्री गौरव जैन के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा